International Journal of Enhanced Research in Educational Development (IJERED)
ISSN: 2320-8708, Vol. 14 Issue 5, September-October, 2026

नागौर जिले में साइबर अपराध की उभरती प्रवृत्तियाँ: एक अनुभवजन्य विश्लेषण

पंकज कुमार भटनागर[1], डॉ. रविन्द्र सिंह राठौर[2]

[1]अहिंसा एवं शांति विभाग, जैन विश्व भारती इंस्टिट्यूट, लाडनूं, राजस्थान
[2]शोध निर्देशक, अहिंसा एवं शांति विभाग, जैन विश्व भारती इंस्टिट्यूट, लाडनूं, राजस्थान

DOI: https://doi.org/10.55948/IJERED.2026.0945

सार

डिजिटल क्रांति की इस आँधी में जब हर व्यक्ति स्मार्टफोन और इंटरनेट से जुड़ता जा रहा है, तब साइबर अपराध एक गंभीर सामाजिक समस्या बनकर उभरा है। राजस्थान के नागौर जिले में भी यह समस्या तीव्रता से बढ़ रही है। प्रस्तुत शोध आलेख नागौर जिले में साइबर अपराध की उभरती प्रवृत्तियों का एक अनुभवजन्य विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इस शोध में 2019 से 2024 के बीच दर्ज मामलों का विश्लेषण किया गया है। प्राथमिक और द्वितीयक दोनों स्रोतों से आँकड़े एकत्र किए गए हैं। शोध में पाया गया कि वित्तीय धोखाधड़ी, सोशल मीडिया दुरुपयोग और पहचान की चोरी प्रमुख साइबर अपराध हैं। ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में साइबर जागरूकता का अभाव इन अपराधों की जड़ में है। शोध के निष्कर्ष नीति-निर्माताओं, पुलिस प्रशासन और समाज सभी के लिए उपयोगी हैं।

मुख्य शब्द: साइबर अपराध, नागौर जिला, डिजिटल धोखाधड़ी, सोशल मीडिया अपराध, साइबर जागरूकता, आईटी अधिनियम, पीड़ित जनसांख्यिकी

प्रस्तावना

इक्कीसवीं शताब्दी को डिजिटल युग की संज्ञा दी जाती है। आज जीवन के हर क्षेत्र में इंटरनेट और तकनीक की भूमिका अपरिहार्य हो चुकी है। बैंकिंग से लेकर शिक्षा, व्यापार से लेकर सामाजिक संपर्क तक — सब कुछ डिजिटल हो चुका है। भारत में डिजिटल इंडिया अभियान ने इस प्रक्रिया को और भी तेज किया है। जनधन-आधार-मोबाइल (JAM) त्रिनेत्र के माध्यम से करोड़ों लोग पहली बार डिजिटल दुनिया से जुड़े हैं।

किंतु इस डिजिटल क्रांति की एक काली परछाईं भी है — साइबर अपराध। जैसे-जैसे लोग डिजिटल दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं, वैसे-वैसे अपराधियों ने भी अपने तरीके बदल लिए हैं। OTP धोखाधड़ी, फर्जी लिंक, सोशल मीडिया ब्लैकमेल, ऑनलाइन ठगी — ये सब आज एक भयावह वास्तविकता बन चुके हैं। इसका दंश उसे झेलना पड़ता है जिसे तकनीक की सबसे कम समझ है और जिसके पास खोने के लिए सबसे कम साधन हैं।

नागौर जिला राजस्थान का एक महत्त्वपूर्ण जिला है, जो मुख्यतः अर्ध-शहरी और ग्रामीण आबादी वाला है। यहाँ के लोग तेजी से डिजिटल लेन-देन अपना रहे हैं, परंतु साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता अभी भी सीमित है। यही असंतुलन साइबर अपराधियों के लिए उपजाऊ भूमि बन जाता है। एक तरफ गाँव का किसान UPI से लेन-देन कर रहा है और दूसरी तरफ साइबर ठग उसके अज्ञान का फायदा उठाने के लिए तैयार बैठे हैं।

प्रस्तुत शोध आलेख नागौर जिले में साइबर अपराध की उभरती प्रवृत्तियों को वैज्ञानिक और अनुभवजन्य दृष्टि से समझने का प्रयास करता है। यह शोध न केवल समस्या की पहचान करता है, बल्कि उसके कारणों का विश्लेषण करते हुए व्यावहारिक समाधान भी सुझाता है।

साहित्य समीक्षा

साइबर अपराध पर शोध का क्षेत्र अपेक्षाकृत नया है, किंतु तेजी से विकसित हो रहा है। विद्वानों ने इस विषय पर विभिन्न कोणों से प्रकाश डाला है।

शर्मा और मेहता (2020) ने राजस्थान में साइबर अपराध की प्रवृत्तियों का अध्ययन करते हुए पाया कि वित्तीय धोखाधड़ी सबसे सामान्य अपराध है और इसके शिकार प्रायः कम पढ़े-लिखे या नए डिजिटल उपयोगकर्ता होते हैं। उनके शोध ने यह भी स्थापित किया कि डिजिटल साक्षरता और साइबर अपराध की भेद्यता के बीच एक व्युत्क्रम संबंध है।

गुप्ता (2021) ने अपने अध्ययन में यह उजागर किया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म — विशेषकर फेसबुक और व्हाट्सएप — साइबर अपराध के प्रमुख माध्यम बन चुके हैं। उन्होंने पाया कि भावनात्मक हेरफेर और सामाजिक इंजीनियरिंग इन अपराधों की मुख्य रणनीति है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की वार्षिक रिपोर्टें (2019-2023) बताती हैं कि भारत में साइबर अपराध की दर निरंतर बढ़ रही है। राजस्थान इस सूची में शीर्ष दस राज्यों में शामिल है और वर्ष 2022 में राज्य में 10,000 से अधिक साइबर अपराध पंजीकृत हुए।

त्रिवेदी (2022) ने ग्रामीण क्षेत्रों में साइबर जागरूकता की कमी को सबसे बड़ा जोखिम कारक बताया। उनके अनुसार डिजिटल समावेश तब तक अधूरा है जब तक साइबर सुरक्षा शिक्षा उसके साथ न हो।

वर्मा और सिंह (2023) ने साइबर अपराध और सामाजिक भेद्यता के संबंध का विश्लेषण करते हुए बताया कि महिलाएँ, बुजुर्ग और युवा वर्ग सबसे अधिक जोखिम में हैं। स्थानीय स्तर पर, नागौर जिले में साइबर अपराध पर विशेष शोध का अभाव रहा है, जो इस शोध की प्रासंगिकता को और बढ़ाता है।

शोध उद्देश्य

प्रस्तुत शोध के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं:

• नागौर जिले में साइबर अपराध के प्रकारों और प्रवृत्तियों की पहचान करना।
• साइबर अपराध के कारणों और जोखिम कारकों का विश्लेषण करना।
• पीड़ित जनसांख्यिकी (आयु, लिंग, शिक्षा) का अध्ययन करना।
• 2019 से 2024 के बीच साइबर अपराध की वृद्धि दर का आकलन करना।
• साइबर अपराध नियंत्रण के लिए प्रभावी एवं व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध पद्धति

प्रस्तुत शोध अनुभवजन्य (Empirical) प्रकृति का है। इसमें मिश्रित पद्धति (Mixed Method Approach) अपनाई गई है, जिसमें मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों विधियों का समन्वय है।

- प्राथमिक आँकड़े
 नागौर जिले के 150 साइबर अपराध पीड़ितों, 25 पुलिस अधिकारियों और 10 साइबर विशेषज्ञों से संरचित साक्षात्कार और प्रश्नावली के माध्यम से आँकड़े एकत्र किए गए। पीड़ितों का चयन जिला पुलिस की FIR सूची और साइबर हेल्पलाइन की रिपोर्टों के आधार पर किया गया।

- द्वितीयक आँकड़े
 NCRB रिपोर्ट (2019-2024), नागौर जिला पुलिस की FIR पंजिकाएँ, राज्य साइबर सेल के आँकड़े और प्रकाशित शोध पत्रों से सहायक सामग्री ली गई। इसके अतिरिक्त न्यायालय के निर्णयों और मंत्रालयी दस्तावेजों का भी उपयोग किया गया।

- नमूना एवं क्षेत्र
 उद्देश्यपूर्ण नमूना पद्धति (Purposive Sampling) का उपयोग किया गया। शोध क्षेत्र में नागौर, डीडवाना, मेड़ता, खींवसर, नावाँ और परबतसर उपखंडों को सम्मिलित किया गया। काल सीमा 2019-2024 निर्धारित की गई।

आँकड़ों का विश्लेषण

1. **साइबर अपराध के प्रकार**

नागौर जिले में दर्ज साइबर अपराधों के विश्लेषण से निम्नलिखित प्रवृत्तियाँ उभरकर आईं:

• ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी: सबसे प्रमुख श्रेणी, कुल अपराधों का लगभग 48%। इसमें OTP धोखाधड़ी, नकली बैंक कॉल, फर्जी UPI लिंक और केवाईसी अपडेट के नाम पर ठगी शामिल है।
• सोशल मीडिया संबंधी अपराध: कुल मामलों का 28%। इसमें फर्जी प्रोफाइल, ब्लैकमेल, अश्लील सामग्री का प्रसार और साइबर उत्पीड़न (Cyberbullying) शामिल।
• पहचान की चोरी (Identity Theft): 12% मामले। आधार, पैन और बैंक खाते की जानकारी चुराकर दुरुपयोग।
• ऑनलाइन शॉपिंग धोखाधड़ी: 8%। फर्जी वेबसाइट और नकली उत्पाद।
• अन्य अपराध (हैकिंग, फिशिंग, रैनसमवेयर): 4%।

2 पीड़ित जनसांख्यिकी

शोध में यह पाया गया कि साइबर अपराध का प्रभाव समाज के हर वर्ग पर है, किंतु कुछ वर्ग विशेष रूप से जोखिम में हैं:

• आयु वर्ग: 18-35 वर्ष के युवा सबसे अधिक प्रभावित (42%), इसके बाद 35-55 वर्ग (35%) और 55 वर्ष से अधिक (23%)।
• लिंग: पुरुष पीड़ित 58% और महिला पीड़ित 42%। महिला पीड़ितों में सोशल मीडिया उत्पीड़न के मामले अधिक पाए गए।
• शिक्षा: 10वीं और 12वीं तक पढ़े लोग (46%) सबसे अधिक शिकार हुए — यह डिजिटल जागरूकता और शिक्षा स्तर के बीच के संबंध को उजागर करता है।
• व्यवसाय: किसान, दुकानदार, घरेलू महिलाएँ और दिहाड़ी मजदूर सबसे अधिक प्रभावित रहे।

3 साइबर अपराध वृद्धि की प्रवृत्ति (2019-2024)

नागौर जिले में दर्ज साइबर अपराध के वार्षिक आँकड़े इस प्रकार हैं:

• 2019: 127 मामले
• 2020: 198 मामले (55.9% की वृद्धि)
• 2021: 267 मामले (34.8% की वृद्धि)
• 2022: 341 मामले (27.7% की वृद्धि)
• 2023: 489 मामले (43.4% की वृद्धि)
• 2024 (जनवरी-सितंबर): 412 मामले

2019 से 2023 के बीच साइबर अपराध में लगभग 285% की वृद्धि दर्ज की गई। यह वृद्धि चिंताजनक और ध्यान देने योग्य है।

4 कारण-विश्लेषण

साइबर अपराध की बढ़ती प्रवृत्ति के पीछे कई परस्पर संबंधित कारण हैं:

• साइबर जागरूकता का अभाव: 68% पीड़ितों ने स्वीकार किया कि उन्हें साइबर ठगी के तरीकों की पूर्व जानकारी नहीं थी।
• डिजिटल लेन-देन में अचानक वृद्धि: कोविड-19 महामारी के बाद डिजिटल भुगतान का तेजी से प्रसार हुआ, लेकिन सुरक्षा शिक्षा साथ नहीं आई।
• सामाजिक इंजीनियरिंग: अपराधी भावनात्मक दबाव, भय, लालच और तात्कालिकता का कुशल उपयोग करते हैं।
• कानूनी प्रक्रिया की जटिलता: अनेक पीड़ित FIR दर्ज कराने में संकोच करते हैं — विशेषकर महिलाएँ और बुजुर्ग।
• साइबर पुलिस संसाधनों की कमी: जिला स्तर पर प्रशिक्षित साइबर पुलिस कर्मियों की संख्या सीमित है।
• न्यायिक प्रक्रिया की धीमी गति: दोषसिद्धि दर कम होने से अपराधियों में भय नहीं है।

प्रमुख निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध से निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निकले हैं:

• नागौर जिले में साइबर अपराध की दर 2019-2023 के बीच 285% बढ़ी है — यह राष्ट्रीय औसत से अधिक है।
• वित्तीय धोखाधड़ी सबसे सामान्य अपराध है, जो कुल मामलों का आधा हिस्सा है।
• ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में शिकार होने की संभावना शहरी क्षेत्र से 1.8 गुना अधिक है।
• 18-35 आयु वर्ग के युवा सबसे अधिक प्रभावित हैं — यह चिंताजनक है क्योंकि यही वर्ग देश का भविष्य है।
• महिला पीड़ितों में रिपोर्टिंग दर पुरुषों की तुलना में 35% कम है।
• डिजिटल साक्षरता का स्तर साइबर अपराध भेद्यता का सबसे मजबूत भविष्यवक्ता है।

सुझाव

शोध के निष्कर्षों के आधार पर निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं:

1 साइबर जागरूकता अभियान

स्कूल, कॉलेज, पंचायत और बाजार स्तर पर साइबर जागरूकता कार्यशालाएँ आयोजित की जाएँ। इन अभियानों को स्थानीय भाषा में और सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाए। ग्रामीण स्तर पर "साइबर मित्र" योजना चलाई जाए जिसमें प्रशिक्षित युवा अपने समुदाय को जागरूक करें।

2 साइबर हेल्पलाइन का सुदृढ़ीकरण

1930 साइबर हेल्पलाइन का व्यापक प्रचार-प्रसार हो और स्थानीय भाषा में सेवाएँ उपलब्ध हों। प्रत्येक गाँव में हेल्पलाइन नंबर का प्रदर्शन अनिवार्य किया जाए।

3 पुलिस प्रशिक्षण

जिला स्तर पर साइबर अपराध विशेषज्ञ पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति हो और नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएँ। ग्रामीण थानों के कर्मियों को भी बुनियादी साइबर जाँच का प्रशिक्षण दिया जाए।

4 शैक्षणिक पाठ्यक्रम में समावेश

साइबर सुरक्षा को प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में सम्मिलित किया जाए। "डिजिटल सुरक्षा" को अनिवार्य विषय बनाया जाए।

5 महिला सुरक्षा

महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराध की रिपोर्टिंग आसान बनाई जाए। महिला साइबर सेल को सुदृढ़ किया जाए और पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता निःशुल्क प्रदान की जाए।

उपसंहार

नागौर जिले में साइबर अपराध की उभरती प्रवृत्तियाँ इस सत्य का प्रमाण हैं कि डिजिटल प्रगति के साथ-साथ डिजिटल सुरक्षा की शिक्षा भी उतनी ही जरूरी है। जब तक हम तकनीक और जागरूकता में संतुलन नहीं बनाएँगे, साइबर अपराधी इस असंतुलन का फायदा उठाते रहेंगे।

यह केवल कानून-व्यवस्था की नहीं, बल्कि समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। एक जागरूक नागरिक सौ पुलिस अधिकारियों की जगह ले सकता है। गाँव का किसान जब OTP किसी को न बताना सीख जाए, युवती जब फर्जी दोस्ती के जाल को पहचान ले, बुजुर्ग जब नकली बैंक कॉल को समझ जाए — तभी असली डिजिटल इंडिया का सपना पूरा होगा।

प्रस्तुत शोध यह आशा रखता है कि इसके निष्कर्ष और सुझाव नीति-निर्माताओं, पुलिस प्रशासन, शिक्षाविदों और आम नागरिक — सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे और नागौर जिले को एक सुरक्षित डिजिटल परिवेश की दिशा में आगे बढ़ाने में सहायक होंगे।

सूची

1. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB). (2019-2023). वार्षिक अपराध रिपोर्ट. नई दिल्ली: गृह मंत्रालय, भारत सरकार।
2. शर्मा, अनिल और मेहता, सुनीता. (2020). राजस्थान में साइबर अपराध: एक अध्ययन. जर्नल ऑफ सोशल साइंसेज, 15(2), 45-62।
3. गुप्ता, राकेश. (2021). सोशल मीडिया और साइबर अपराध. भारतीय समाजशास्त्र पत्रिका, 18(3), 78-95।
4. त्रिवेदी, माया. (2022). ग्रामीण भारत में साइबर जागरूकता. लोक प्रशासन शोध, 12(1), 34-51।
5. वर्मा, प्रदीप और सिंह, कमलेश. (2023). साइबर अपराध और सामाजिक भेद्यता. अपराधशास्त्र अध्ययन, 9(4), 112-128।
6. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (संशोधन 2008). भारत सरकार।
7. राजस्थान साइबर सेल. (2022-23). वार्षिक प्रतिवेदन. राजस्थान पुलिस।
8. इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (CERT-In). (2023). साइबर सुरक्षा रिपोर्ट. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय।
9. नागौर जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय. (2019-2024). साइबर अपराध डेटा रजिस्टर. नागौर।
10. खान, मोहम्मद और जोशी, सरिता. (2022). डिजिटल इंडिया और साइबर अपराध. नीति अनुसंधान पत्रिका, 7(2), 23-41।
11. भारतीय दंड संहिता, 1860 — धाराएँ 420, 468, 471 (साइबर अपराध प्रासंगिक)।
12. इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (IAMAI). (2023). भारत में इंटरनेट उपयोग रिपोर्ट। नई दिल्ली।